



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की अनुपूरक कार्यसूची

मंगलवार, 25 फाल्गुन, शक संवत्, 1937
(दिनांक : 15 मार्च, 2016)

- 18.(क) (1) मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (2) मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (4) शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (5) राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (6) राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।
- 18.(ख) (1) उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-("ग-1"))

- 19.(क) (1) राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)
- (2) राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

देहरादून :
दिनांक : 15 मार्च, 2016

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

"नत्थी" (ग-1)

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2016 की बैठक में दिनांक 15 मार्च, 2016 से 18 मार्च, 2016 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:—

मार्च, 2016

15 मंगलवार

1—मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं पारण

2—बजट पर सामान्य चर्चा

3—विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)

2. उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

3. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)

5. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)

16 बुधवार

1—बजट पर सामान्य चर्चा

2—विधायी कार्य

1—उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

2—उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

3—उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

4—उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

17 गुरुवार

1-बजट पर सामान्य चर्चा एवं पारणं

2- विभागवार अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान सं०- 05 निर्वाचन

अनुदान सं०-07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

अनुदान सं० 18 सहकारिता

अनुदान सं०-20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

3-विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण
(30 मिनट)

2. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण
(30 मिनट)

3. उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण
(30 मिनट)

18 शुक्रवार

1- विभागवार अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान सं०- 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

अनुदान सं०-19 ग्राम्य विकास

अनुदान सं० 25 खाद्य

अनुदान सं० 26 पर्यटन

अनुदान सं०-29 औद्योगिक एवं रेशम

अनुदान सं०-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

अनुदान सं०-27 वन

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

अनुदान सं०-28 पशुपालन

अनुदान सं०- 16 श्रम एवं रोजगार

अनुदान सं०-01 विधान सभा विवाद नहीं होगा।

अनुदान सं० 02	राज्यपाल	विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं० 03	मंत्री परिषद	विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं०-04	न्याय प्रशासन	विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं०-08	आबकारी	
अनुदान सं०-09	लोक सेवा आयोग	विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं० 10	पुलिस एवं जेल	
अनुदान सं० 14	सूचना	
अनुदान सं०- 15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध	
अनुदान सं०-21	ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा	
अनुदान सं० 22	लोक निर्माण	
अनुदान सं० 23	उद्योग	
अनुदान सं०-24	परिवहन	
अनुदान सं०-30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	
अनुदान सं०-31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	

2- उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

3. विधायी कार्य